इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 22, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद् के अधिनियम.

भाग ४ (क) - कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

सूचना

क्र. 141-एमपीएस-4-2013.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते

हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उपरोक्त अधिनियम के अधीन राज्य में किसी स्कीम की सामाजिक संपरीक्षा के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, जिनका कि पूर्व प्रकाशन उपरोक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-4, दिनांक 9 अगस्त 2013 में किया जा चुका, अर्थात:—

नियम

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सामाजिक संपरीक्षा नियम, 2013 है.
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
- 2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42);
 - (ख) ''संचालक'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी;
 - (ग) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
 - (घ) ''ग्राम संपरीक्षा सिमिति'' से अभिप्रेत है, सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करने के लिये ग्राम सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों का समृह;
 - (ङ) ''नामनिर्दिष्ट अधिकारी'' से अभिप्रेत है, सामाजिक संपरीक्षा ग्राम सभा के दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलक्टर का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी:
 - (च) ''प्राथमिक पणधारी'' से अभिप्रेत है, मजदूरी चाहने वाले और उनका परिवार जिन्होंने रोजगार गारंटी योजना के अधीन कार्य किया हो तथा ऐसे गांव के निवासी जहां रोजगार गारंटी योजना के कार्य किए जा रहे हों;
 - (छ) ''संसाधन व्यक्ति'' से अभिप्रेत है, सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिये समिति द्वारा राज्य, जिला, विकासखण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर शिनाखतशुदा परिलक्षित व्यक्ति;
 - (ज) "समिति" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति;
 - (झ) ''सामाजिक संपरीक्षा ग्राम सभा'' से अभिप्रेत है, इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा:
 - (ज) ''स्कीम की सामाजिक संपरीक्षा'' से अभिप्रेत है, स्कीम के प्राथमिक पणधारियों द्वारा स्कीम की संपरीक्षा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मध्यप्रदेश के संदर्भ में, सामाजिक संपरीक्षा में कार्यालयीन अभिलेखों की तुलना में अभिलिखित या मौखिक साक्ष्य को विचार में लेते हुए ऐसे कार्यों का सत्यापन जिन्हें सिविल सोसाइटी संगठन और/ या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है या जिन्हें सुकर बनाया गया है;
 - (ट) ''ग्राम सामाजिक एनीमेटर'' से अभिप्रेत है, अधिमानत: श्रिमकों के परिवारों से या समुदाय से सदस्य जो संसाधन व्यक्तियों द्वारा परिलक्षित, सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया में प्रशिक्षित किए जाएंगे तथा जो सामाजिक संपरीक्षा को सुकर करेंगे तथा ग्राम संपरीक्षा समिति की सहायता से सामाजिक संपरीक्षा ग्राम सभा में निष्कर्षों को प्रस्तुत करेंगे.
- 3. **सामाजिक संपरीक्षा का स्कीमों की संपरीक्षा का भाग होना.**—(1) राज्य सरकार इन नियमों के अधीन विहित रीति में कम से कम प्रत्येक छह मास में एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिनियम के अधीन किए गए कार्यों की सामाजिक संपरीक्षा को सुकर बनाएगी.
- (2) वित्तीय वर्ष के दौरान की गई ऐसी सामाजिक संपरीक्षाओं के निष्कर्षों का सार राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक, महालेखाकार परीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा.
- 4. **सामाजिक संपरीक्षा सुविधा.**—(1) ग्राम सभा द्वारा सामाजिक संपरीक्षा को सुकर बनाने के लिये, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा एक स्वतंत्र समिति राजिस्ट्रीकृत की गई है.

- (2) समिति निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगी,—
 - (क) सामाजिक संपरीक्षा करने के लिये ग्राम सभाओं की क्षमताओं का निर्माण करना तथा इस प्रयोजन हेतु ग्राम, विकासखण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर प्राथमिक पणधारियों तथा अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों से ऐसे उपयुक्त संसाधन व्यक्तियों को लेकर उन्हें परिलक्षित करना, प्रशिक्षित तथा अभिनियोजित करना जो लोगों के अधिकारों के लिये कार्य करने का ज्ञान तथा अनुभव रखते हों;
 - (ख) सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के लिये रिपोर्ट के फार्मेट, संसाधन सामग्री, मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा निर्देशिकाओं को तैयार करनाः
 - (ग) श्रिमिकों में, अधिनियम के अधीन उनके अधिकारों तथा हकों के बारे में जागरूकता पैदा करना;
 - (घ) प्राथमिक पणधारियों के अभिलेखों तथा कार्य स्थलों के सत्यापन को सुकर बनाने में ग्राम संपरीक्षा सिमिति की सहायता;
 - (ङ) सम्यक् चर्चाओं के पश्चात् विनिश्चयों को पढ़े जाने तथा अंतिम रूप देने के लिये सामाजिक संपरीक्षा ग्राम सभाओं के सुचारू संचालन को सुकर बनाना;
 - (च) सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट, उन पर की गई कार्रवाई को सम्मिलित करते हुए, प्रदर्शित करना.
- 5. **सामाजिक संपरीक्षा की पूर्वीपेक्षाएं.**—(1) सामाजिक संपरीक्षा, स्कीम को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी द्वारा हाथ में ली गई किसी भी प्रक्रिया से स्वतंत्र प्रक्रिया होगी.
- (2) क्रियान्वित करने वाली एजेंसी सामाजिक संपरीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी बल्कि आवश्यक सहयोग करने के लिये बाध्य होगी.
- (3) उपनियम (2) में अंतर्विष्ट िकसी बात के होते हुए भी, स्कीम को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी, कार्यक्रम अधिकारी को, सिमिति को, सामाजिक संपरीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाने के लिये अपेक्षित जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराएगी.
- (4) किसी ग्राम पंचायत में सामाजिक संपरीक्षा को सुकर बनाने के लिये अभिनियोजित किए गए संसाधन व्यक्ति उसी ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होंगे.
- 6. सामाजिक संपरीक्षा करने की प्रक्रिया.—(1) सिमिति वर्ष के प्रारंभ में, प्रत्येक छह मास में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामाजिक संपरीक्षा करने के लिये एक वार्षिक कैलेण्डर विरचित करेगी तथा कैलेण्डर की एक प्रति समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिये भेजी जाएगी. सामाजिक संपरीक्षा संपूर्ण राज्य में समय-समय पर की जाएगी.
- (2) ग्राम सभा द्वारा सामाजिक संपरीक्षा को सुकर बनाने के लिये प्राथमिक पणधारियों सिंहत सिमिति द्वारा अभिनियोजित संसाधन व्यक्ति :—
 - (क) मस्टर रोल, ऐसी मजदूरी चाहने वालों में से जिनके नाम ऐसे मस्टर रोल में प्रविष्ट किए गए हैं, संपर्क करके विनिर्दिष्ट कालाविध में की गई प्रविष्टि और भुगतान;
 - (ख) कार्यस्थल तथा अभिलेखों के संदर्भ के साथ मात्रा तथा किए गए कार्य की गुणवत्ता का भी निर्धारण;

- (ग) वित्तीय रिपोर्टिंग की शुद्धता तथा विश्वसनीयता के सत्यापन के लिये कैश बुक, बैंक विवरण तथा अन्य वित्तीय अभिलेख:
- (घ) सामग्रियों को उपाप्त करने के लिये उपयोग में लाए गए बीजक, बिल, व्हाउचर या अन्य अभिलेखों को यह जांच करने के लिये कि ऐसा उपापन, प्रावकलन अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनसार था तथा मितव्ययी था; और
- (ङ) कार्यान्वित करने वाली एजेंसी द्वारा स्कीम की निधियों से किए गए कोई अन्य भुगतान,

सत्यापित करेंगे.

- (3) पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये संसाधन व्यक्तियों द्वारा साथ ही कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सामाजिक संपरीक्षा करने वाली ग्राम सभा के बारे में श्रमिकों तथा ग्राम समुदाय को सूचित किया जाएगा.
- (4) सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के लिये किए गए सत्यापन के निष्कर्षों पर विचार-विमर्श करने और पारदर्शिता तथा जवाबदारी, श्रिमिकों के अधिकारों की पूर्ति और हकदारी तथा निधियों के उचित उपयोग के अनुपालन का पुनर्विलोकन करने के लिये भी ग्राम सभा आयोजित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता किसी ऐसे वरिष्ठ ग्रामवासी द्वारा की जाएगी जो ग्राम पंचायत या किसी क्रियान्वयन एजेन्सी का हिस्सा न हो.
- (5) अधिनियम के अधीन स्कीम के क्रियान्वयन में लगे हुए ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य और कर्मचारीवृंद (जिनके अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों, स्वसहायता समूहों और वितरण एजेंसियों के कर्मचारीवृंद भी सिम्मिलित हैं) ग्राम सभा में उपस्थित होंगे और पूछताछ का उत्तर देंगे.
- (6) ग्राम सभा सभी ग्रामवासियों को अतिरिक्त जानकारी मांगने और उन्हें अभिप्राप्त करने और कार्यान्वयन में लगी हुई समस्त एजेन्सियों से उत्तर प्राप्त करने के लिये मंच एवं सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध कराएगी. वह किसी भी व्यक्ति को, जिसका कोई योगदान हो और जिसके पास कोई सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिये हैं, मंच उपलब्ध कराएगी.
- (7) जिला कार्यक्रम समन्वयक, ग्राम सभा की बैठक के सुचारू संचालन के लिये ग्राम सभा की बैठक में भाग लेगा या समुचित स्तर के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करेगा.
- (8) सिमिति द्वारा सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट, स्थानीय भाषा में तैयार की जाएगी और ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी.
- (9) पूर्ववर्ती सामाजिक संपरीक्षा से संबंधित रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई प्रत्येक सामाजिक संपरीक्षा ग्राम सभा बैठक के प्रारंभ में पढकर सुनाई जाएगी तथा समस्त कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग भी की जाएगी.
- 7. सामाजिक संपरीक्षा के संबंध में कितपय व्यक्तियों की बाध्यता.—(1) कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त अपेक्षित जानकारी और समस्त कार्यान्वयन एजेंसी के अभिलेख जैसे जॉबकार्ड रिजस्टर, रोजगार रिजस्टर, कार्य रिजस्टर, शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट, ग्राम सभा संकल्प, स्वीकृति (प्रशासिनक या तकनीकी या वित्तीय) की प्रतियां, कार्य प्राक्कलन, नक्शा—खसरा, कार्य प्रारम्भ आदेश, मस्टर रोल निर्गम और प्राप्ति रिजस्टर, मस्टर रोल मजदूरी संदाय निस्तारण सामग्री—बिल और व्हाउचर (प्रत्येक कार्य के लिये), माप पुस्तक (प्रत्येक कार्य के लिये), आस्ति रिजस्टर एक्जिट (निकास) प्रोटोकॉल रिजस्टर, कैश बुक, पासबुक, चेकबुक रिजस्टर सिहत पूर्ववर्ती सामाजिक संपरीक्षा पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट, शिकायत या परिवाद रिजस्टर, कोई अन्य दस्तावेज जो सिमिति को सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया के लिये अपेक्षित हो, अपेक्षित फार्मेंट में उचित रूप से समाकिलत हों; और छायाप्रतियों के साथ, सामाजिक संपरीक्षा कराने वाली ग्राम सभा की बैठक की अधिसूचित तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सामाजिक संपरीक्षा को सुकर बनाने के लिये सिमिति को प्रदान की जाए.
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट जानकारी उसी समय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध की जाएगी और छायाप्रतियां नाममात्र की लागत पर उपलब्ध कराई जाएंगी.

- (3) प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक अथवा उसके निमित्त कोई पदधारी :--
 - (क) यह सुनिश्चित करेगा, कि सामाजिक संपरीक्षा कराने के लिये समस्त अभिलेख, कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से समिति को प्रस्तुत कर दिए जाएं;
 - (ख) यह सुनिश्चित करेगा, कि सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट पर जनसुनवाई तथा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;
 - (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम सभा के विनिश्चय के संबंध में पूर्ण कार्रवाई 30 दिनों के भीतर की गई है;
 - (घ) गबन की गई रकम या अनुचित उपयोग की गई रकम की वसूली के लिए सभी उपाय करेगा और इस प्रकार वसुली गई रकम के लिए रसीद या अभिस्वीकृति जारी करेगा;
 - (ङ) दुर्विनियोजित पाई गई मजदूरी, ऐसी रकम की वसूली के सात दिन के भीतर मजदूरी चाहने वालों को संदाय करेगा;
 - (च) सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के दौरान वसूली गई रकम के लिये एक पृथक् खाता संधारित करेगा;
 - (छ) समय पर मजदूरी के भुगतान में असफल होने की दशा में एक मास के भीतर मुआवजे के साथ मजदूरी का भुगतान करेगा तथा भुगतान में विलंब के लिये उत्तरदायी व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित करेगा;
 - (ज) यह सुनिश्चित करेगा, कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के विरुद्ध जिन्होंने अधिनियम के अधीन स्कीम के लिये निर्धारित रकम का दुरुपयोग या गबन किया है, समुचित कार्रवाई (जिसमें आपराधिक और सिविल कार्यवाहियां प्रारंभ करना या सेवा की समाप्ति भी सम्मिलित है) प्रारंभ कर दी गई हैं.
- (4) राज्य सरकार, सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिये उत्तरदायी होगी.
- (5) राज्य रोजगार गारंटी परिषद् राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को मानीटर करेगी और राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में, की गई कार्रवाई रिपोर्ट को सिम्मिलित करेगी.
- (6) सिमिति की स्थापना करने पर हुए व्यय और सामाजिक संपरीक्षा की लागत की पूर्ति इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (i) of sub-section (2) of section 32 read with sub-section (2) of section 24 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), the State Government, hereby, makes the following rules for Social Audit of a scheme in the State of Madhya Pradesh under the aforesaid Act, which was previously published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-4, dated 9th August, 2013 as required by sub-section (1) of section 32 of the said Act, namely:—

RULES

- 1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Social Audit Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires.—
 - (a) "Act" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005);

- (b) "Director" means the Chief Executive Officer of the Madhya Pradesh State Samajik Sampariksha Samiti;
- (c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (d) "Gram Sampariksha Samiti" means the group of people nominated by the Gram Sabha to conduct Social Audit:
- (e) "Nominated Officer" means an Officer nominated to represent the District Programme Coordinator / Collector, social audit Gram Sabha:
- (f) "Primary Stakeholder" means the wage seekers and their families who have worked under the Employment Guarantee Scheme and residents of the village where the Employment Guarantee Scheme works are being carried out;
- (g) "Resource Person" means the person identified by the Samiti for State, District, Block and Gram Panchayat level to facilitate the Social Audit process;
- (h) "Samiti" means the Madhya Pradesh State Samajik Sampariksha Samiti;
- (i) "Social Audit Gram Sabha" means the special Gram Sabha to be held at least once in every six months for this purpose;
- (j) "Social Audit of a Scheme" means auditing of a Scheme by the primary stakeholders of the Scheme. In context of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Madhya Pradesh, Social Audit shall include verification of works, facts on ground vis-à-vis official records, taking into account the recorded or oral evidence, which is aided and facilitated by civil Society Organizations and / or Government:
- (k) "Village Social Animator" means preferably the members from the labourer's families or from the community who shall be identified by the resource persons, trained in Social Audit process and who shall facilitated the social audit and present the findings in the Social Audit Gram Sabha with the help of Gram Sampariksha Samiti.
- 3. Social Audit to be part of audit of Schemes.-(1) The State Government shall facilitate conduct of social audit of the works taken up under the Act in every Gram Panchayat at least once in every six months in a manner prescribed under these rules.
 - (2) A summary of findings of such social audits conducted during a financial year shall be submitted by the State Government to the Comptroller and Auditor General of India.
- 4. Social Audit facilitation.- (1) To facilitate the conduct of social audit by Gram Sabhas, an independent Samiti has been registered by the State Government under the Act.
 - (2) The Samiti shall be responsible for the following.—
 - (a) build capacities of Gram Sabhas for conducting social audit and towards this purpose identify, train and deploy suitable resource persons at village, block, district and State level, drawing from primary stakeholders and other civil Society Organizations having knowledge and experience of working for the rights of the people;
 - (b) prepare social audit report formats, resource material, guidelines and manuals for the social audit process;
 - (c) create awareness amongst the labourers about their rights and entitlements under the Act;
 - (d) help of Gram Sampariksha Samiti, to facilitate verification of records with primary stakeholders and work sites;

- (e) facilitate smooth conduct of Social audit Gram Sabhas for reading out and finalizing decisions after due discussions:
- (f) hosting of Social audit reports including action taken reports in the public domain.
- 5. **Social audit pre-requisites.** (1) The Social Audit shall be a process independent of any process undertaken by the implementing agency of the Scheme.
- (2) The implementing agency shall not interfere with the conduct of social audit but shall be obligated to provide necessary support.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the implementing agency of the Scheme shall provide requisite information or documents to the Programme Officer for making it available to the Samiti at least fifteen days prior to the date of commencement of the social audit.
- (4) The resource persons deployed for facilitating social audit in a Gram Panchayat shall not be residents of the same Gram Panchayat.
- 6. **Process of Conducting Social Audit.**—(1) The Samiti shall, at beginning of the year, frame an annual calendar to conduct at least one social audit, in each Gram Panchayat, in every six months and a copy of the calendar shall be sent to all the District Programme Coordinators for making necessary arrangements. The social audit will be carried out in a staggered manner all over the State.
- (2) For facilitating conduct of Social Audit by Gram Sabha, the resource persons deployed by the Samiti along with primary stakeholders shall verify,—
 - (a) the muster rolls, entry and payments made in the specified time period, by contacting the wage seekers whose names are entered in such muster rolls;
 - (b) the work site and assess the quantity with reference to records and also quality of work done;
 - (c) the cash book, statement of bank and other financial records to verify the correctness and reliability of financial reporting;
 - (d) the invoices, bills, vouchers or other related records used for procurement of materials to testify such procurement was as per the estimate, as per procedure laid down and was economical; and
 - (e) any other payment made by the implementing agency from the funds of the Scheme.
- (3) The labourers and the village community shall be informed about the Gram Sabha conducting social audit by the resource persons as well as the Programme Officer to ensure full participation.
- (4) To conduct Social Audit process, a Gram Sabha shall be convened to discuss the findings of the verification exercise and also to review the compliance on transparency and accountability, fulfilment of the rights and entitlements of labourers and proper utilization of funds, which shall be presided over by a senior village person who shall not be a part of either Gram Panchayat or any implementing agency.
- (5) All elected members of Gram Panchayats and staff involved in implementing the Schemes under the Act (including the staff of the Non-Governmental Organizations, the Self Help Groups, and Disbursing Agencies) shall be present at the Gram Sabha and respond to queries.
- (6) The Gram Sabha shall provide a platform to all villagers to seek and obtain further information and responses from all the agencies involved in the implementation. It shall also provide a platform and relevant documents to any person who has any contribution to make and relevant information to present.

- (7) The District Programme Coordinator shall attend the Gram Sabha meeting or nominate an official of appropriate level for smooth conduct of the Gram Sabha meeting.
- (8) The Social Audit reports shall be prepared in local language by the Samiti and displayed on the notice board of the Gram Panchayat.
- (9) The action taken report relating to the previous social audit shall be read out at the beginning of the meeting of each Social Audit Gram Sabha, and video recording of whole proceeding shall also be made.
- 7. **Obligation of certain persons in relation to social audit.**—(1) The Programme Officer shall ensure that all the required information and records of all implementing agencies such as, Job card register, employment register, work register, shelf of project, Gram Sabha Resolution, copies of the sanctions (Administrative or Technical or Financial), work estimates, Naksha-Khasra, Work Commencement Order, muster-roll issued and receipt register, muster-rolls wage payment acquaintance and order, Material-Bills and vouchers (for each work), measurement book (for every work), asset register, exit protocol register, cash book, pass book, cheque book register, action taken report on previous social audits, grievance or complaints register, any other documents that the Samiti requires to conduct the social audit process are properly collated in the requisite formats and shall be provided along with photocopies, to the Samiti for facilitating conduct of social audit at least fifteen days in advance of the Scheduled date of meeting of the Gram Sabha for conducting social audit.
- (2) The information referred to in sub-rule (1) shall be publically available at the same time and photocopies shall be available at nominal cost.
- (3) Every District Programme Coordinator or any official on his behalf shall,—
 - (a) ensure that all records for conduct of social audit are furnished to the Samiti by implementing agencies through the Programme Officer;
 - (b) ensure that public hearing and corrective action is taken on the social audit report;
 - (c) ensure that, the complete action regarding the decision of Gram Sabha has been taken within 30 days;
 - (d) take steps to recover the amount embezzled or improperly utilized and issue receipts or acknowledgement for amount so recovered:
 - (e) pay wages found to be misappropriated, within seven days of the recovery of such amount to the wage seekers;
 - (f) maintain a separate account for the amount recovered during Social Audit Process;
 - (g) in case of failure to pay wages on time, pay wages with compensation within one month and imposed penalty on the person responsible for delay payment;
 - (h) ensure that the appropriate action (including initiating criminal and civil proceedings or termination of services) is initiated against individual or class of individual or persons who misutilised or embezzled the amount meant for the Scheme under the Act.
- (4) The State Government shall be responsible for follow up action on the findings of the social audit.
- (5) The State Employment Guarantee Council shall monitor the action taken by the State Government and incorporate the action taken report in the annual report to be laid before the State Legislature by the State Government.
- (6) The costs of establishing the Samiti and conducting social audit shall be meet as per the instructions issued by Central Government in this regard.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **बृजेश कुमार,** अपर सचिव.